अनुदान संख्या 75 – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 75 - MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	42722,00,00			
			42722,02,00	39876,88,01	-2845,13,99
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2845,11,13
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	907,00,00			
			4091,00,00	2313,00,00	-1778,00,00
पूरक	Supplementary	3184,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1478,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2802"	Major Head "2802"				
पेट्रोलियम	Petroleum				
मू.	O.	4219843.00			
पू.	S.	2.00	3925279.56	3925279.56	..
पु.	R.	-294565.44			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	48520.00	58975.36	58975.36	..
पु.	R.	10455.36			

(I) ₹5600.30 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से, ₹5300.00 लाख मुख्य शीर्ष "2802" – "तेल और गैस का शोधन तथा विपणन – तेल का विपणन – प्रधानमंत्री जीवन योजना" के अंतर्गत परियोजना डेवलपर्स द्वारा संवितरण शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹5600.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in February, 2021) remained wholly unutilized under four heads; of these, ₹5300.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2802" - "Refining and Marketing of Oil and Gas - Marketing of Oil - Pradhan Mantri JI-VAN Yojna" - due to non-fulfillment of disbursement conditions by the Project Developers .

(II) मुख्य शीर्ष "2802" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "2802" - savings occurred under the following heads:-

(का) "तेल और गैस का शोधन तथा विपणन – अन्य व्यय – भारतीय गैस प्राधिकरण – फूलपूर धार्मा हल्दिया पाईपलाइन परियोजना" – ₹72800.00 लाख की बचत (₹145603.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में), सीआरआईएफ की लेखाकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से प्रदान की जाने वाली निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Refining and Marketing of Oil and Gas - Other Expenditure - Gas Authority of India - Phulpur Dhamra Haldia Pipeline Project" - saving of ₹72800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹145603.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds to be provided from Central Road and Infrastructure Fund owing to non-finalisation of Accounting Procedure of CRIF.

(खा) "सामान्य" –

(B) "General" -

(क) "तेल विपणन कंपनियों को सहायिकी" –

(a) "Subsidy to Oil Marketing Companies" -

(i) "एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹1027439.32 लाख की बचत (₹3081893.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मौजूदा

(i) "DBT for LPG" - saving of ₹1027439.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3081893.00

अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों पर आधारित स्कीम के अंतर्गत उच्चतर व्यवस्था और कोविड–19 महामारी की वजह से कीमतों के अनुवर्ती संशोधन होने के कारण हुई।

lakhs) was due to higher provisioning under the scheme based on prevalent International LPG prices and subsequent revision of prices owing to COVID-19 pandemic.

(ii) "केरोसिन के लिए डीबीटी" – ₹3072.62 लाख की बचत (₹3582.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) झारखंड से उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने और स्कीम के तौर–तरीकों के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) "DBT for Kerosene" - saving of ₹3072.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3582.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from Jharkhand and non-finalisation of scheme modalities.

(iii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र (केरोसिन) सहित अन्य क्षेत्र सहायिकी" – ₹43586.27 लाख की बचत (₹277582.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 01.03.2020 से आगे पीडीएस केरोसीन की वसूली के अंतर्गत न होने की वजह से सहायिकी संबंधित कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(iii) "Other Subsidies payable including NE Region (Kerosene)" - saving of ₹43586.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹277582.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards subsidy owing to no under recovery of PDS Kerosene from 01.03.2020 onwards under SC component.

(ख) "स्वायत्त निकायों को सहायता – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड" – ₹2004.54 लाख की बचत (₹2353.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोर्ड के साथ आंतरिक संग्रह/संसाधन की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(b) "Assistance to Autonomous Bodies-Petroleum and Natural Gas Regulatory Board" - saving of ₹2004.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2353.00 lakhs) was due to availability of internal accruals/ resources with the Board.

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹109717.64 लाख की बचत (₹315484.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों पर आधारित स्कीम के अंतर्गत उच्चतर व्यवस्था और कोविड–19 महामारी की वजह से कीमतों के अनुवर्ती संशोधन होने के कारण हुई।

(i) "DBT for LPG" - saving of ₹109717.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹315484.00 lakhs) was due to higher provisioning under the scheme based on prevalent International LPG prices and subsequent revision of prices owing to COVID-19 pandemic.

(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र (केरोसिन) सहित अन्य सहायिकी" – ₹4139.22 लाख की बचत (₹26361.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "एलपीजी को डीबीटी" – ₹56681.78 लाख की बचत (₹163123.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र (केरोसिन) सहित अन्य देय सहायिकी" – ₹2144.42 लाख की बचत (₹13657.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 01.03.2020 से पीडीएस केरोसिन की कोई कम वसूली न होने की वजह से सब्सिडी संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – राज्य सरकारों को अंतर रॉयल्टी का भुगतान" – ₹2966.50 लाख की बचत (₹4320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा बिलों की प्रस्तुति न किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹696.53 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 86 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1033215.23 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष "2802" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद का पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(ii) "Other Subsidies payable including NE Region (Kerosene)" - saving of ₹4139.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26361.00 lakhs);

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "DBT to LPG" - saving of ₹56681.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹163123.00 lakhs); and

(ii) "Other Subsidies payable including NE Region (Kerosene)" - saving of ₹2144.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13657.00 lakhs)

Savings under the above three heads were due to receipt of less claims towards subsidy owing to no under recovery of PDS Kerosene from 01.03.2020 onwards.

(III) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Payment of Differential Royalty to State Governments" - saving of ₹2966.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4320.00 lakhs) was due to non-submission of bills by State Governments.

(IV) Under two heads saving of ₹696.53 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 11 percent and 86 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹1033215.23 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary of ₹2.00 lakhs in September, 2020 and February, 2021 under Major Head "2802" under the following heads:-

(का) "तेल और गैस का शोधन और विपणन – प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना – इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड"– ₹17999.75 लाख।

(A) "Refining and Marketing of Oil and Gas - Setting up of Natural Gas Pipeline- Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL)" - ₹17999.75 lakhs.

(खा) "सामान्य" –

(B) "General" -

(क) "तेल विपणन कंपनियों को सहायिकी" –

(a) "Subsidy to Oil Marketing Companies" -

(i) "पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य देय सहायिकी (घरेलू प्राकृतिक गैस)" – ₹3885.86 लाख।

(i) "Other Subsidies payable including NE Region (Domestic Natural Gas)" - ₹3885.86 lakhs.

(ii) "परियोजना प्रबंधन व्यय" – ₹2263.86 लाख।

(ii) "Project Management Expenditure" - ₹2263.86 lakhs.

(iii) "गरीब परिवार को एलपीजी कनेक्शन की योजना" – ₹811742.18 लाख।

(iii) "Scheme for LPG connection to Poor Households (PMUY)" - ₹811742.18 lakhs.

(iv) "बीसीपीएल को फीड स्टॉक सब्सिडी" – ₹169999.86 लाख।

(iv) "Feed Stock subsidy to BCPL" - ₹169999.86 lakhs.

(ख) "स्वायत्त निकायों को सहायता" –

(b) "Assistance to Autonomous Bodies"-

(i) "इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड को भुगतान (ओ एंड एम)" – ₹2323.86 लाख।

(i) "Payment to Indian Strategic Petroleum Reserve Limited (O&M)" - ₹2323.86 lakhs.

(ii) "भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम की स्थापना" – ₹24999.86 लाख।

(ii) "Setting up of Indian Institute of Petroleum Energy (IIPE), Vishakhapatnam" - ₹24999.86 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – केरोसिन वितरण सुधारों के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन" – ₹13421.86 लाख का अधिक व्यय (₹44200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीडीएस केरोसिन (डीबीटी) के उनके आबंटन में राज्य द्वारा स्वैच्छिक कटौती किए जाने के कारण स्कीम के अंतिम निपटान संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601"- "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Cash incentive to State Governments for Kerosene Distribution Reforms" - excess of ₹13421.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards final settlement of the scheme on account of voluntary cut undertaken by the States in their allocation of PDS Kerosene.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹177800.00 लाख) सितम्बर, 2020 में प्राप्त किए ₹318400.00 लाख के पूरक अनुदान का 56 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹177800.00 lakhs) constituted 56 percent of the supplementary grants of ₹318400.00 lakhs obtained in September, 2020 and 43 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4802"	Major Head "4802"				
पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Petroleum				
मू.	O.	90700.00			
पू.	S.	318400.00	261300.00	231300.00	-30000.00
पु.	R.	-147800.00			

(I) "कच्चे तेल के भंडारण की सावरेन रणनीति – आरक्षित कच्चे तेल के भंडारण की सावरेन रणनीति का निर्माण – इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान" – ₹70000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹318400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹388400.00 लाख कर दिया गया, जो तथापि, ₹163400.00 लाख की सीमा तक चरण 1 में ही सभी कैवर्न में कच्चे तेल भरने और समय पर राजकोषीय उपायों के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Sovereign Strategic Storage of Crude Oil- Creation of Sovereign Strategic Storage of Crude Oil Reserve - Payment to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL)" - the original provision of ₹70000.00 lakhs was augmented to ₹388400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹318400.00 lakhs in September, 2020 which, however, remained unutilised to the extent of ₹163400.00 lakhs - due to filling of crude oil in all caverns in phase 1 itself and timely fiscal measures.

(II) "कच्चे तेल और गैस का अन्वेषण तथा उत्पादन – अन्य व्यय – राष्ट्रीय भूकंप संबंधी कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹14400.00 लाख की बचत (₹20700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से भूकंप सर्वेक्षण संबंधित कार्यकलापों के स्थगित होने के कारण हुई।

(II) Under "Exploration and Production of Crude Oil and Gas - Other Expenditure - National Seismic Programme" - saving of ₹14400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20700.00 lakhs) was due to deferment of Seismic Survey related activities owing to Covid-19 pandemic.